इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 345] भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 जुलाई 2011—आषाढ़ 29, शक 1933

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्र. एफ. 44-2011-बीस-2.—नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, —

1. नियम 4 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए अर्थात् :—

"(1) क्षेत्र या पड़ोस की सीमाएं जिनके भीतर राज्य सरकार द्वारा स्कूल स्थापित किया जाना है नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ट) में यथा परिभाषित क्षेत्र या सीमा होगी :

परन्तु यदि क्षेत्र के भीतर किसी बसाहट या पड़ोस की सीमा में एक किलोमीटर की परिधि के भीतर प्रायमरी स्कूल की सुविधा नहीं है और 6 से 11 वर्ष की आयु के कम से कम 40 बच्चे उपलब्ध हैं, तो राज्य सरकार ऐसी बसाहट में प्रायमरी स्कूल की सुविधा उपबंध करेगी :

परन्तु यह और कि यदि क्षेत्र के भीतर किसी बसाहट या पड़ोस की सीमा के भीतर तीन किलोमीटर की परिधि में कोई मिडिल स्कूल की सुविधा उपलब्ध नहीं है और 11 से 14 वर्ष की आयु के कम से कम 12 बच्चे उपलब्ध हैं, तो राज्य सरकार ऐसी बसाहट में मिडिल स्कूल की सुविधा उपबंध करेगी."

2. नियम 5 में, उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए अर्थात् :—

"(4) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्थापित और उसके स्वामित्व या नियंत्रित स्कूलों में अध्ययनरत समस्त बालकों को नि:शुल्क गणवेश उपलब्ध हो."

No. F 44-31-2011-XX-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, —

1. In rule 4, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) The areas or limits of neighborhood within a school has to be established by the State Government shall be the area or limit as defined in clause (k) of sub-rule (1) of rule 2:

Provided that if any habitation within the area of the limit of neighborhood has no primary school facility within a radius of 1 km. and minimum 40 children of 6-11 years of age are available, the State Government shall provide primary school facility in such habitation:

Provided further that if any habitation within the area or the limit of neighborhood has no middle school facility within a radius of 3 km. and minimum 12 children of 11-14 years of age are available, the State Government shall provide middle school facility in such a habitation."

2. In rule 5, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) The State Government shall ensure that free uniform is provided to all children studying in schools established and owned or controlled by the State Government or the local authority."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गीता मिश्रा, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.